

संख्या:- 806 / 77-4-20-35एन/19

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा
यूपीसीडा/यूपीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2020

विषय:-सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) विषयक अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 के नियम-37 में यह प्राविधान किया गया है कि:-

"सरकार इस नियमावली के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।"

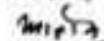
2. उक्त नियम 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-474/77-4-19-474, दिनांक 08.03.2019 को अवकमित करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ग्रेड पे रू० 4600 से ऊपर के समस्त पदों की ए.सी.पी. पर विचार करने हेतु निम्नवत् स्कीनिंग कमेटी गठित करने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित प्राधिकरण में तैनात अभियंत्रण संवर्ग का वरिष्ठतम अभियन्ता	सदस्य
3	वित्त नियंत्रक	सदस्य

उक्त स्कीनिंग कमेटी द्वारा ए.सी.पी. के शासनादेश के अनुसार प्रत्येक वर्ष के जनवरी/जुलाई माह में बैठक आयोजित कर अपनी संस्तुति मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदन से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उक्त प्रतिनिधायन के अनुसार राज्य सरकार की शक्तियों का विधि सम्मत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।